

खेती दुनिया

KHETI DUNIYAN, PATIALA

भारत का एक सुप्रसिद्ध हिन्दी
कृषि समाचार-पत्र (न्यूज़ पेपर)

www.khetiduniyan.in



BOOK POST - PRINTED MATTER

KHETI DUNIYAN

• Issue Dated 28-12-2024 • Vol. 8 No. 52 • H.O. : KD Complex, Gaushala Road, Patiala-147001 (Pb.) Ph. : 0175-2214575 • Page : 08 E-mail : khetiduniyan1983@gmail.com

अब तक 293 लाख हैक्टेयर में गेहूं की बुवाई हुई बारिश से खिले किसानों के चेहरे, गेहूं की फसल के लिए वरदान

गत् दिनों हरियाणा/पंजाब में सीज़न की पहली बारिश से किसानों के चेहरे खिले गए, जहां हल्की बारिश से गेहूं की फसल पर धूल,

बुवाई समय से कर दी थी, उनकी फसल की स्थिति काफी अच्छी है। इस समय नमी आती है, तो वह गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक



मिट्टी के कण सब धूल गए, साथ ही आसमान में नाइट्रोजन के कण बारिश के साथ फसल में मिल गए।

इससे खेतों में गेहूं की फसल काफी अच्छी बनी हुई है, जो संकेत दे रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित टारगेट को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। ये बातें भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केन्द्र, करनाल के डायरेक्टर ने कही। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केन्द्र, करनाल के निदेशक डॉ. रतन तिवारी ने बताया

होती है। दूसरा धूल कण जो हवा के साथ उड़ते रहते हैं, तो वे गेहूं की पत्तियों पर जम जाते हैं, बारिश की बूंदों से धूल गए। उन्होंने कहा कि गेहूं को ठंड पसंद है, जितनी ठंड पड़ी, गेहूं की फसल उतनी ही अच्छी होगी। उन्होंने दावा किया कि बारिश से गेहूं की फसल को बेहतरीन फायदा होगा।

ठंड ज्यादा, मौसम चमकदार तो फसल के लिए काफी अच्छा
निदेशक डॉ. तिवारी ने कहा कि तापमान कम रहे, लेकिन मौसम

को हर 15 दिनों के अंतराल पर गाइडलाइन जारी की जाती है। किसान भाई संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली गाइडलाइन पर अमल करें। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि कृषि मंत्री ने संस्थान का दौरा किया था।

बरसात होने से फसलों को फायदा

क्षेत्र में मौसम का मिजाज फिर से बदला हुआ नज़र आया है। बारिश से फसलों को मिलेगा फायदा, बारिश होने से फसलों को काफी फायदा मिलता है। बारिश खासकर गेहूं, सरसों व चना की फसलों के



लिए वरदान साबित होगी। बारिश अनुसार इस समय बारिश होने से फसलों को फायदा मिला, जिससे फसलों की पैदावार अच्छी होगी।

सरकार ने किया 115 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित : डॉ. तिवारी

निदेशक डॉ. तिवारी ने बताया कि अब तक देश में 293 लाख हैक्टेयर में गेहूं की बुवाई हो चुकी है, जबकि पिछले साल इन दिनों तक 284 लाख हैक्टेयर में गेहूं की बुवाई हुई थी। अब तक 9 लाख हैक्टेयर एरिया में गेहूं की बुवाई ज्यादा हो चुकी है। मौसम ठीक रहा, तो इस साल गेहूं का रक्का बढ़ने की ज्यादा संभावना है। इससे सरकार ने इस साल 115 मिलियन टन गेहूं की पैदावार का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि पिछले साल ये 113.2 मिलियन टन था।

कि गत् दिनों हुई हल्की बारिश से दो फायद तुरन्त नज़र आए हैं, पहला कि गेहूं की फसल को इन दिनों नमी की काफी जरूरत होती है, खासकर जिन किसानों ने गेहूं की

सबसे ज्यादा फायदा गेहूं की फसल को है – कृषि विशेषज्ञ

कृषि विशेषज्ञ बरसात को फसलों के लिए रामबाण बता रहे हैं। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा फायदा गेहूं की फसल को है। बरसात के कारण तापमान गिरने पर ठंड बढ़ गई है। लंबे समय बाद हुई बरसात से किसान फसलों को लेकर खुश हैं। उनका कहना है कि सितम्बर के अंतिम सप्ताह में क्षेत्र में बरसात हुई थी। उसके बाद अब हुई है। किसान प्रीतम सिंह, महक सिंह का कहना है कि सूखे मौसम से फसलें प्रभावित हो रही थीं। वहीं, कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. आदित्य प्रताप डबास का कहना है कि यह मौसम फसलों के लिए बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा फायदा गेहूं की फसल को होगा। वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन बरसात से नीचे आ जाती है। इसका फसलों में फायदा है। डॉ. डबास का कहना है कि बरसात से फसलों व पेड़-पौधों पर जमी धूल भी साफ होगी। बरसात फसलों में खाद का काम करेगी। गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। जितनी मौसम में ठंडक होगी, फसल के लिए उन्होंने ही फायदेमंद है। बरसात से फसलों को बहुत लाभ मिलेगा, साथ ही किसानों को गेहूं, गन्ने की फसल में फिलहाल पानी देने की जरूरत नहीं।



खेती दुनिया

द्वारा

किसान भाईयों व डीलर/डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए चंदों में विशेष छूट

एक वर्ष 500/- रुपए

दो वर्ष 800/- रुपए

पेमेंट करने के पश्चात् अपना डाक पता इस नंबर पर भेजें :

90410-14575

KHETI DUNIYAN
TID - 62763351



चंदे भेजने हेतु QR कोड सकैन करें।

भारत में हरियाणा-पंजाब वर्ष 1970 से हरित क्रान्ति के अग्रणी प्रदेश रहे हैं, जहां किसानों द्वारा गेहूँ-धान की बौनी उन्नत किस्में व बाजार, मक्का, ज्वार आदि की संकर किस्मों और उन्नत कृषि उत्पादन तकनीक अपनाने से अनाज फसलों की उत्पादकता में 6-10 गुणा वृद्धि दर्ज हुई है, जिसकी बदौलत इन दोनों राज्यों की देश के अन्न भण्डार में पिछले पांच दशकों से वार्षिक हिस्सेदारी लगभग दो-तिहाई रहती है।

इन दोनों राज्यों को देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के आधार क्षेत्र माना गया है, क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर अनाज की सरकारी खरीद भी सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों से होती है। सही मायने में हरियाणा-पंजाब को देश में उन्नत कृषि अपनाने वाले मॉडल राज्य कहा जाता है, क्योंकि इन राज्यों में अपनाए गए गेहूँ-धान फसल-चक्र की 12 टन प्रति हेक्टेयर से ज्यादा की वार्षिक उत्पादकता दुनिया भर में सर्वोत्तम मानी जाती है। उसके बावजूद हरियाणा-पंजाब के किसानों का कर्जबंद होना ना केवल दुर्भाग्यपूर्ण



सभी राज्यों ने अपनाया। लेकिन दुर्भाग्य कि आज भी सरकारी भ्रष्टतन्त्र और साहूकार बिचौलियों / आढ़तियों के घाल-मेल के कारण तोला-मोल - फर्जी बोली - कच्ची पर्ची (रसीद) आदि भ्रष्ट व्यापार द्वारा किसानों का शोषण लगातार जारी है। पिछले एक महीने में लेखक और विभिन्न समाचार पत्रों ने हरियाणा-पंजाब की कृषि उपज मंडियों में कच्ची पर्ची (रसीद) से आढ़तियों द्वारा चलाए जा रहे भ्रष्ट व्यापार का भंडाफोड़ किया है, जिसमें आढ़ती कृषि उपज की फर्जी बोली दिखा कर, किसानों को समर्थन मूल्य से 200-500 रुपए प्रति किवंटल कम की पर्ची (रसीद) धमा देते हैं, जबकि वास्तविकता में, किसान की वह फसल उपज पहले ही सरकारी खरीद में समर्थन मूल्य पर हो चुकी होती है और सरकार किसान के बैंक अकाउंट में समर्थन मूल्य के हिसाब से ही पूरी धनराशि जमा करती है। फिर आढ़ती इस अन्तर धनराशि को गुंडागर्दी और सामाजिक दबाव बना कर किसानों से वसूल करते हैं। हरियाणा-पंजाब की कृषि उपज मंडियों सरकारी भ्रष्टतन्त्र के सहयोग से चल रहे इन भ्रष्ट व्यापार की बदौलत किसानों से लगभग 12,000 करोड़ रुपए वार्षिक की लट होती है।

इसलिए फसल उपज में विश्वव स्तरीय उच्च उत्पादकता करने के बावजूद, पिछले पांच दशकों से सरकारी पक्षपातर्पूण नीतियों और सरकारी कृषि उपज मंडियों में साहूकार विचालियों/आढ़तियों द्वारा की जा रही लगभग 60,000 करोड़ रुपए वार्षिक की खुली लूट के कारण हरियाणा-पंजाब का किसान गरीब और कर्जबंद है।

सरकार और साहूकार बिचौलियों के शोषण से बचने के लिए ही हरियाणा-पंजाब के किसान समर्थन मूल्य की सी-2 लागत पर घोषणा और समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को पूरा करवाने के लिए बार-बार आंदोलन कर रहे हैं। जबकि सरकार जान-बूझ कर वास्तविकता की अवहेलना करते हुए, किसानों को भ्रमित करने के लिए किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की राशी बढ़ाने, फसल विविधीकरण, कॉन्ट्रैक्ट खंती आदि अव्यावहारिक समाधान का

कृषि में विश्व स्तरीय उच्च उत्पादकता लेने वाले हरियाणा—पंजाब के किसान कर्जबन्द क्यों?

2024 की सूचना के अनुसार भारतीय खाद्य निगम ने आर.एम.एस. 2024-25 के दौरान 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की और न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति किंवंटल के तहत की गई इस खरीद पर 61000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में जमा किए गए, जिसमें से 121.75 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पंजाब और 71.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हरियाणा से की गई और लगभग 44000 करोड़ रुप हरियाणा-पंजाब के किसानों के बैंक खातों में जमा हुए। इसी तरह खरीफ विपणन सीज़न 2023-24 में धान की 775 लाख मीट्रिक टन खरीद पर 1.74 लाख करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में जमा हुए, जिसमें से 255 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हरियाणा-पंजाब से की गई और लगभग 58000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में जमा हुए, यानि वर्ष 2024 में, गेहूं-धान की सरकारी खारीद पर हरियाणा-पंजाब के किसानों के बैंक खातों में केन्द्र सरकार ने कुल

**फसलों की उच्च
उत्पादकता के बावजूद
हरियाणा-पंजाब के किसान
गरीब और कर्जबंद क्यों?**

1. क्योंकि सरकार 5 दशकों से सी-2 लागत की बजाए, ए-2+एफ.एल. लागत पर समर्थन मूल्य की घोषणा करके किसानों से 40,000 करोड़ रुपए वार्षिक लूट रही है : सरकार ने वर्ष 1966-67 में अनाज फसल उपज की सरकारी खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पॉलिसी बनाई। केन्द्र सरकार सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली के लिए, लगभग दो-तिहाई अनाज गेहूं-धान हरियाणा-पंजाब राज्यों से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करने के लिए, सरकार ने केन्द्रीय कृषि मूल्य और लागत आयोग

भारत सरकार के प्रैस
इन्फोर्मेशन ब्यूरो द्वारा जारी 3 जुलाई,

की 24 मुख्य फसलों के लिए सी-2 लागत और ए-2+एफ.एल. लागत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गुणना करके अपनी सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजता है। दुनियाभर में बिकने वाली सभी वस्तुओं की कीमत सी-2 लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है, क्योंकि वैश्विक बाजार में, वस्तुओं की सी-2 लागत को ही न्यायोचित माना जाता है।

लेकिन दुर्भाग्य कि किसान विरोधी केन्द्र सरकार पिछले 5 दशकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सी-2 लागत पर नहीं करके, ए-2 + एफ.एल. लागत पर करती रही है, जिससे हरियाणा-पंजाब के किसानों को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। क्योंकि वर्ष 2024 में केन्द्र सरकार ने पंजाब से 125 लाख टन

गेहूं और 185 लाख टन धान और हरियाणा से 60 लाख टन धान और 72 लाख टन गेहूं यानि दोनों राज्यों से वर्ष 2024 लगभग 442 लाख टन अनाज फसल उपज की सरकारी खरीद समर्थन मूल्य पर की। कृषि मूल्य और लागत आयोग द्वारा की गई गणना में सी-2 लागत और ए-2 + एफ.एल. लागत के आधार पर विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऑसतन 700-1200 रुपए प्रति किंवद्दन का फर्क रहता है, जिसके अनुसार केवल एक वर्ष 2024 में ही, अनाज फसलों की उपज की सरकारी खरीद से केन्द्र सरकार ने हरियाणा-पंजाब के किसानों का लगभग 40,000 करोड़ रुपए का खलम खुला शोषण किया है।

2. केन्द्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून नहीं बनाकर, साहुकार बिचौलियों को हरियाणा-पंजाब के किसानों से लगभग 15000 करोड़ रुपए वार्षिक लूट की खुली छूट दी : केन्द्र सरकार 24 मुख्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रति वर्ष घोषणा करती है और इन मूल्यों को उचित मान कर, इन मूल्यों पर सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली के लिए सरकारी खरीद भी करती है। जो देश में इन फसलों के कुल उत्पादन का मात्र 20-30 प्रतिशत ही होता है। बाकि



द्वारा नियंकत कमीशान

प्रचार लगातार कर रही हैं

राष्ट्रीय हित में, हरियाणा-पंजाब
 और देश के किसानों को कर्जमुक्त
 बनाने के लिए सरकार समर्थन मूल्यों
 की घोषणा सी-2 लागत + 50 प्रतिशत
 लाभ पर करे और समर्थन मूल्य का कानून
 बना कर समर्थन मूल्य की कानूनी
 गारंटी सुनिश्चित करे और सरकारी
 कृषि उपज मंडियों में साहुकार
 बिचौलियों/आढ़तियों द्वारा चलाए जा
 रहे भ्रष्ट व्यापार पर पूरी तरह लगाम
 लगाए, तभी खेती लाभदायक व्यवसाय
 बनेगी और किसान कर्जमुक्त होंगे,
 जिससे देश की खाद्य सुरक्षा स्थाई
 बन सकेगी।

गेहूं में खरपतवारों की रोकथाम को आधुनिक युग में खरपतवार नियंत्रण के बजाय खरपतवार प्रबंधन के नाम से ज्यादा जाना जाता है। विधियां वही हैं, केवल धारणा बदली है।

गेहूं में खरपतवार प्रबंधन की नवीनतम विधियां : खरपतवार प्रबंधन के निरोधी उपाय, शस्य विधियां द्वारा खरपतवार प्रबंधन, रासायनिक खरपतवार नियंत्रण निरोधी उपाय :

1. उत्तम क्वालिटी के खरपतवार मुक्त बीजों का प्रयोग करें, ताकि गेहूं की बुवाई के साथ खरपतवारों की बुवाई ना हो सके।

2. अच्छी तरह गली-सड़ी गोबर की खाद का ही प्रयोग करें। कच्ची गोबर की खाद में खरपतवार के बीज जीवित रहते हैं। क्योंकि पशु चारे के साथ जो खरपतवारों के बीज होते हैं, वह बिना गले बाहर आ जाते हैं। यह बीज कच्ची खाद के साथ खेतों में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए अच्छी गली-सड़ी खाद को ही खेतों में डालें।

3. सिंचाई की नालियों, गेहूं के खेतों की मेडँों को साफ रखें ताकि खरपतवारों के बीज व वनस्पति भाग सिंचाई के पानी के साथ मुख्य खेत में प्रवेश ना कर सकें।

4. खरपतवार के पौधों को बीज बनने से पहले ही खेतों से बाहर निकाल दें। यदि खरपतवारों के बीज खेत में ही झड़ गए, तो मिट्टी में खरपतवारों की संख्या बढ़ेगी।

5. गेहूं के खेतों में मंडूसी गेहूं में लगभग 20 दिन पहले पक जाती है। इसके बीज गेहूं में मिश्रित ना होकर, इसके लिए इसे बीज पकने से पहले खेती से निकाल दें।

6. गेहूं की कम्बाईन से कटाई या थ्रैशर से झड़ाई करने से पहले मशीन को पूरी तरह साफ कर लें, इससे खरपतवारों के बीज पकने से पहले खेतों से निकल दें।

7. भण्डारित गेहूं में खरपतवारों के बीज अगर मिश्रित होते हैं, तो दोनों की नमी में फर्क होने की वजह से फफ्फं/मोल्डस का खतरा बढ़ जाता है।

शास्य विधियां द्वारा खरपतवार प्रबंधन : गेहूं की ऐसी किस्म का चुनाव करें, जिसकी बढ़त अधिक हो, जो शीघ्रता से ज़मीन को ढक ले और प्रारम्भिक अवस्था में उगने वाले खरपतवारों



को अच्छी प्रतिस्पर्धा दे। गेहूं के पौधों का समान जमाव व अधिक बढ़वार की वजह से खरपतवारों की बढ़वार को कम स्थान मिलता है।

निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें : उत्तम क्वालिटी के बीज, बीज उपचार, उचित खेत की तैयारी, उचित नमी, उचित बीज मात्रा, उचित गहराई पर बीज की बुवाई

उचित विधि द्वारा बुवाई : गेहूं में खरपतवारनाशियों का प्रयोग घास कुल गेहूं की फसल के साथ उगने वाले खरपतवार अधिकतर

डॉ. रघुबीर सिंह कालीरामण, खण्ड कृषि अधिकारी, बरवाला (हिसार), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पंचकूला

मौसमी हैं, जिनका जमाव निश्चित तापमान पर ही होता है। जैसे मंडूसी का जमाव आमतौर पर नवम्बर के आखिरी सप्ताह से शुरू होता है।

कुछ खरपतवार गेहूं के बीजों के साथ-साथ ही अंकुरित हो जाते हैं। कुछ खरपतवार पहली सिंचाई के बाद ही अंकुरित होते हैं। इसलिए गेहूं की बुवाई को नवम्बर 15 तक पूरी कर लें, क्योंकि इस समय का तापमान मंडूसी के जमाव के अनुकूल

है। बुनियादी खाद को बीज से 2-3 सेंटीमीटर गहरा डालें। जीरो टिलेज से गेहूं की बुवाई करने से गेहूं का जमाव जल्दी होता है और मिट्टी की ऊपरी सतह को ना छोड़ने की वजह से मंडूसी का जमाव कम होता है।

स्टेलबेड विधि : इस विधि से खाली खेत की सिंचाई करके खरपतवारों को जमने का मौका दिया जाता है। इन उगते हुए खरपतवारों को जुराई करने या नान सलेक्टीव खरपतवारनाशी जैसे ग्लाइसोफोसेट का 1 प्रतिशत घोल स्प्रे करके खत्म किया जा सकता है। फिर इस खरपतवार मुक्त खेत में गेहूं की बुवाई की जा सकती है। रासायनिक तत्वों के पोषण व पानी का प्रयोग खरपतवार व फसल में होता है। इसलिए खाद का प्रयोग खरपतवार नियंत्रण के बाद करें ताकि इनका लाभ गेहूं को मिले, ना कि खरपतवारों को।

रासायनिक खरपतवार नियंत्रण : खरपतवारनाशी आधुनिक कृषि विज्ञान की परम आवश्यकता है। खरपतवारनाशी द्वारा खरपतवार प्रबंधन करना मज़दूरों द्वारा, यंत्रों द्वारा, शारीरिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है।

गेहूं में खरपतवारनाशी का प्रयोग दो तरह से किया जा सकता है :

- फसल-चक्र अपनाएं :** विभिन्न प्रकार की फसलों को फसल-चक्र में शामिल करने से खरपतवारों का जीवन-चक्र ठूटा है। फसलों के बदलने से उनकी शस्य क्रियाएं बदलती हैं, उनमें प्रयोग होने वाले खरपतवारनाशी बदलते हैं। उदाहरणतः धान-गेहूं फसल-चक्र में बरसीम, मटर, सब्जियां, तोरिया, सूरजमुखी जैसी फसलों को गेहूं के बदले में उगा कर मंडूसी के प्रकोप व खरपतवारनाशी की प्रतिरोधी क्षमता के विकसित होने से बचा जा सकता

फसल - खरपतवार जमने से पहले (प्री एमरजेन्स) और खरपतवार जब 2-4 पत्ती अवस्था में हों (पोस्ट एमरजेन्स)

प्री एमरजेन्स खरपतवारनाशी : गेहूं बुवाई के तुरन्त बाद पैन्डीमेथालिन 3.3 लीटर प्रति

हैक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे करने से उगते हुए खरपतवारों का नाश किया जा सकता है। पैन्डीमेथालिन से शुरूआती पहले फसल की मंडूसी व बाथू का नियंत्रण किया जा सकता है।

पोस्ट एमरजेन्स खरपतवारनाशी : गेहूं में पोस्ट एमरजेन्स खरपतवारनाशी का प्रयोग पहली सिंचाई (बुवाई के 21 दिन) के 7-10 दिन बाद जब खेतों में पैर टिकने लगे और खरपतवार 2-4 पत्ती अवस्था में हों, तभी किया जाता है। क्लोडीनाफोप तो पत्तियों द्वारा ही सोखा जाता है। इसलिए स्प्रे के समय गेहूं की फसल में खरपतवार 2-4 पत्ती अवस्था में होने से ही स्प्रे का लाभ मिलता है। प्रायः यह भी देखा गया है कि गेहूं की इस अवस्था में तापमान बहुत कम होता है। कम तापमान में खरपतवार पत्ते खरपतवारनाशी को अपने अंदर अवशोषित करने की क्षमता नहीं रखते, जिस कारण खरपतवारनाशी का लाभ नहीं मिलता।

गेहूं में खरपतवारनाशियों का प्रयोग :

खरपतवारनाशी का वैज्ञानिक नाम/खरपतवारनाशी का व्यापारिक नाम / उत्पाद / हैक्टेयर / प्रयोग का समय / दिन बाद / खरपतवार प्रकार के लिए सिफारिश

मैट्स्लफ्यूरोन मिथाइल / एलग्रिप / 20 ग्राम / बुवाई के 35-40 / चौड़ी पत्ती

पैन्डीमेथालिन / स्टॉम्प / 3 लीटर / बुवाई के तुरन्त बाद / शेष पृष्ठ 6 पर

आपकी फसल की संभाल..... कोपल के साथ

क्लोडीकोप, इपिक और मेटकोप, खरपतवारों पर फुलर्टॉप

खेती दुनिया

KHETI DUNIYAN

मुख्य कार्यालय

के.डी. कॉम्प्लैक्स, गऊशाला रोड, नजदीक रोड, पंजाब मार्केट, पटियाला - 147001 (पंजाब)

फोन : 0175-2214575

मो. 90410-14575

E-mail : khetiduniyan1983@gmail.com

वर्ष : 08 अंक : 52

तिथि : 28-12-2024

सम्पादक

जगप्रीत सिंह

मुख्य शाखाएं

पटियाला

फोन : 0175-2214575

मो. 90410-14575

मुम्बई

दिल्ली

लुधियाना

बण्ठडा

सम्पादकीय बोर्ड

डॉ. डी.डी. नारंग

डॉ. जे.एस. डाल

डॉ. आर.एम. फुलझेले

कम्पोजिंग

एकता कम्प्यूटरज़े पटियाला

Editor, Printer & Publisher JAGPREET SINGH

Printed at Drishti Printers, Dasmesh Market,
Near Sher-e-Punjab Market, Gaushala Road, PATIALA &
Published at Patiala for Prop. JAGPREET SINGH

वेटरनरी यूनिवर्सिटी ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ ब्रैकिश वॉटर एक्वाकल्चर के साथ किया समझौता

पंजाब में खारे पानी के जलीय कृषि के सतत विकास के संबंध में गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वॉटर एक्वाकल्चर, चेन्नई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह संस्था इस क्षेत्र में अग्रणी संस्था है।

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वॉटर एक्वाकल्चर के निदेशक डॉ. कुलदीप के लाल और विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉ. ए के अरोड़ा ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर डॉ. जतिंदर पाल सिंह गिल, वाइस चाम्सलर और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ-साथ कॉलेज ऑफ फिशरीज की वैज्ञानिक टीम भी उपस्थित थी।

डॉ. गिल ने कहा कि विश्वविद्यालय ने पंजाब के दक्षिण-पश्चिमी जिलों में खारे



पानी वाली गैर कृषि भूमि में झींगा की सफलतापूर्वक खेती करके इस भूमि को लाभदायक बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं।

उन्होंने बताया कि हमारे इस केंद्रीय संगठन के पास बायोफ्लॉक विधि से झींगा बीज नसरी तैयार करने, लागत प्रभावी चारा उत्पादन, संसाधनों के कुशल उपयोग और रोगों के नियंत्रण के लिए पर्याप्त ज्ञान है।

विकसित करेंगे।

डॉ. कुलदीप ने कहा कि इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि हमारे इस केंद्रीय संगठन के पास बायोफ्लॉक विधि से झींगा बीज नसरी तैयार करने, लागत प्रभावी चारा उत्पादन, संसाधनों के कुशल उपयोग और रोगों के नियंत्रण के लिए पर्याप्त ज्ञान है।

डॉ. अरोड़ा ने कहा कि इस समझौते से पंजाब के खारे पानी वाले इलाकों के किसानों

को फायदा होगा और नई तकनीकों से छोटे, मध्यम और बड़े किसान भी बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे।

डॉ. मीरा डी आंसल, डीन, फिशरीज कॉलेज ने कहा कि यह समझौता जहां कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देगा, वहीं यह भागीदारों यानी किसानों, वैज्ञानिकों और छात्रों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकीयों को साझा करने का एक बड़ा प्रयास भी साबित होगा।

प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट – देसी गाय पर सब्सिडी का इंतजार कर रहे किसानों को राहत, वेरिफिकेशन शुरू

सोनीपत जिले के 18 किसानों ने किया है आवेदन, 25 हजार मिलेगी सब्सिडी

प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट के तहत देसी गाय पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पशुपालन विभाग द्वारा आवेदन करने वाले किसानों की गाय खरीद के संदर्भ में वेरिफिकेशन का काम शुरू कर दिया गया है। कृषि विभाग द्वारा आवेदकों की लिस्ट पशुपालन विभाग को भेज दी गई है। जल्द ही वेरिफिकेशन का काम पूरा होने के बाद किसानों के बैंक अकाउंट में सब्सिडी जारी कर दी जाएगी।

दरअसल, किसानों की आय को बढ़ाने व फसलों की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए सरकार प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट पर फोकस कर रही है। प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट के लिए पहले चरण में 18 किसानों ने आवेदन किया है और यह परंतु करीब 7 माह बीत जाने के बावजूद अब तक किसानों को सब्सिडी जारी नहीं है।

इसी क्रम में सोनीपत जिले में प्राकृतिक खेती शुरू करने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कृषि विभाग के अंकड़ों के अनुसार अब तक जिले में करीब 800 किसान प्राकृतिक खेती करने के लिए अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। विभाग अब किसानों की संख्या को तेजी से बढ़ाने की काव्ययद में जुट गया है। इसके लिए ब्लाक स्टर पर जागरूकता कैप,

डी.ए.पी. खाद की कीमत में बढ़ोत्तरी

रासायनिक खादों के कच्चे माल की कीमतों में भारी वृद्धि दर्ज हुई है।

खेती विशेषज्ञों के अनुसार डी.ए.पी. और अन्य रासायनिक खादों के मूल्य में 4 साल के बाद वृद्धि हुई है। सरकार ने एन.पी.के. का रेट भी बढ़ा दिया है। पूर्व खेती विज्ञानी डॉ. एच.एस. धालीवाल ने बताया कि देश में फास्फोरस तत्व एक किलोग्राम भी पैदा नहीं होता। इसके कारण इसे दूसरे देशों से कच्चे माल के रूप में आयात करना पड़ता है। इस कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण डी.ए.पी. सहित अन्य रासायनिक खादों की कीमतों में केन्द्र सरकार को वृद्धि करनी पड़ी है। उन्होंने यह भी बताया कि केन्द्र सरकार प्रति गट्टा यूरिया (45 किलो) पर 1969.87 रुपए सब्सिडी दे रही है, जबकि इसकी असल कीमत 2236.67 रुपए है। किसानों को सब्सिडी की बदलत यह गट्टा 266.50 रुपए में मिल रहा है। डी.ए.पी. खाद पर 1000 रुपए की सब्सिडी की मूल्य में प्रति गट्टा 50 किलो बढ़ोत्तरी करने से अब 1300 रुपए में मिलने वाली टी.एस.पी. 1350 रुपए में खरीदनी होगी।

अधिकतर सर्दियों के समय बागवानी फसलें पाले व प्रतिकूल मौसम से प्रभावित होती हैं। इस मौसम में फलों व सब्ज़ियों के उत्पादन व उनकी गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। पौधों की पत्तियों, फूलों व टहनियों में गलन जैसी समस्या देखी जाती है, जिससे बाद में बीमारियों का खतरा भी होने लगता है। जीवाणु जनित बीमारियों के कारण पत्तों व फलों पर धब्बे आ जाते हैं, जिससे वे देखने और स्वाद में खराब हो जाते हैं। प्रत्येक फसल के लिए नुकसान पहुंचाने वाला न्यूनतम तापमान पौधे की सहन क्षमता के अनुसार अलग-अलग होता है। जहाँ एक और जड़ वाली व पत्तेदार सब्ज़ियों में कम तापमान पर विकास बेहतर होता है, वही गोभी वर्गीय सब्ज़ियों में गलन की समस्या देखी जाती है।

उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में दिसम्बर-जनवरी माह में न्यूनतम तापमान शून्य से 4 डिग्री सेंटीमीटर तक चला जाता है, जोकि यहाँ उगाई जाने वाली बागवानी फसलों (अमरुद, पपीता, स्ट्रबेरी, सिट्रस, अनार, सब्ज़ियां आदि) बढ़वार के लिए हानिकारक होता है। अतः बागवानी फसलों को सर्दियों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं :-

1. मल्चिंग : पौधों को पाले से बचाने के लिए उन्हें सूखी घास, सूखे पत्तों या मल्च से ढक देना चाहिए। पौधे के चारों ओर प्लास्टिक या जैविक मल्चिंग से ढकाव करने से पौधों को ठंडी हवा और पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। इसके साथ ही मल्च मिट्टी में नमी बनाए रखती है और खरपतवार पर भी नियंत्रण रखती है। सब्ज़ियों को ढकने के लिए आजकल पॉली टनल या लो-टनल का प्रयोग किया जाता है। लो-टनल की ऊंचाई लगभग एक मीटर रखी जाती है,



सर्दियों में बागवानी फसलों की देखभाल

विनीता राजपूत, जिला विस्तार विशेषज्ञ (बागवानी), देवेन्द्र सिंह जाखड़, वरिष्ठ संयोजक (मृदा विज्ञान), सतीश कुमार, जिला विस्तार विशेषज्ञ (पादप रोग विज्ञान), सुनील कुमार, जिला विस्तार विशेषज्ञ (सस्य विज्ञान), चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, सिरसा

जिससे पौधे के बढ़वार न रुकने पाए। बेड के ऊपर गोलाकार जंकरोधक लोहे की तार लगा कर ऊपर से लो-टनल की पॉलीथीन को बिछाया जाता है, जिससे आवश्यकता अनुसार हटाया और लगाया जा सकता है। लो-टनल द्वारा पौधों के आस-पास उचित तापमान भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

2. खेतों में धुंआ करना : तापमान अधिक गिर जाने पर खेतों में रात के समय

चारों तरफ धुंआ करने से पाले को सीधा पौधों पर पड़ने से बचाया जा सकता है। ऐसा करने से खेत का तापमान भी सामान्य बना रहता है।

3. सल्फर का प्रयोग : बागवानी फसलों खासतौर पर फलों में 0.1 प्रतिशत सल्फर का छिड़काव करने से पौधों को ठंडे तापमान व पाले की मार से बचाया जा सकता है। इसके साथ ही नाइट्रोजन आदि

पोषक तत्वों के स्प्रे करने से भी ठंड का प्रभाव कम होता है।

4. सिंचाई : पौधों को ठंड से चाने के लिए बाग या खेत में शाम के समय खुला पानी लगाएं। पानी की ऊप्पा से पौधे की जड़ों व तने को होने वाला नुकसान कम होता है।

5. कटाई व छंटाई : शीतोष्ण कटिबंधीय फलदार पौधों जैसे आड़, आलू बुखारा व नाशपाती आदि के बाद में दिसम्बर-जनवरी के माह में कटाई-छंटाई की जानी चाहिए। इससे नए फलदार शाखाओं के विकास में मदद मिलती है।

6. खाद का प्रयोग : अमरुद के पौधों में सर्दी के प्रभाव से पत्तों पर लाल धब्बे होने लगते हैं, जोकि बाद में पीले पड़ गिर जाते हैं। इसके प्रकोप से पौधे को बचाने के लिए फास्फोरस-युक्त खाद का प्रयोग करें। पौधों के थालों में भली-भांति सड़ा हुआ गोबर का खाद डालें, जिससे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके।

7. बाग में फसलें लगाना : नए लगाए बागवानी पौधे प्रतिकूल मौसम के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ऐसे में इन पौधों में सर्दी से नुकसान होने की अधिक संभावना होती है। नए बाग में (खासतौर पर पहले साल में) लाइनों के बीच सरसों की बुवाई करनी चाहिए। सरसों साग के पौधों को पाले के प्रभाव से बचाती है और अतिरिक्त आय भी प्रदान करती है। इसी प्रकार से बाग में मेथी, चना, पालक, धनिया आदि फसल लगाकर मिट्टी से ढका जा सकता है।

8. नए पौधों के तनों को ढकना : पौधों के तनों पर पाले का सीधा प्रभाव ना हो, इसके लिए तने के निचले 1-2 फुट के हिस्से को अखबारी कागज़ या पराली से ढक देना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न तरीकों से किसान अपने बाग व खेतों को सर्दी के प्रकोप से बच सकते हैं।

भूंगा सिट्रस एस्टेट में किनू की वैक्सिंग शुरू, होशियारपुर के फल की जम्मू-दिल्ली में मांग

- होशियारपुर ज़िले में 5 हजार एकड़ में किनू के बाग, सिट्रस एस्टेट चला रहा वैक्सिंग सेंटर
- कोई भी किसान 70 पैसे प्रति किलो के हिसाब से करवा सकता है किनू की वैक्सिंग

सिट्रस एस्टेट भूंगा से वैक्स स्थानीय मंडियों में भी भेजा जा रहा होकर जिले के किसानों का किनू है। पंजाब समेत दूसरे राज्यों की मंडियों की शान बन रहा है। पिछले सप्ताह 1500 किसानों के अलावा दूसरे

सिट्रस एस्टेट के साथ जुड़े



के मध्य (18 दिसंबर) से वैक्सिंग किसानों ने लगभग 5000 एकड़ में सीज़न की शुरूआत हो चुकी है। अब मार्च महीने तक किसान यहाँ से अपने किनू को वैक्स करवा, पैकिंग कर मंडियों तक पहुंचाएं। वैक्स करवाने के लिए प्रति किलोग्राम 70 पैसे चार्ज किए जाते हैं, जिस फल की एक बार वैक्सिंग हो जाती है, वह दूर से ही चमकता है।

सीज़न की शुरूआत में ही जम्मू और दिल्ली की मंडियों में होशियारपुर के किनू की अच्छी डिमोड निकलकर सामने आ रही है। जिले के बागवान वैक्स-ग्रेडिंग करवाने के बाद अपना फल इन्हीं मंडियों में भेज रहे हैं। कुछ माल

असिस्टेंट डायरेक्टर (बागवानी भूंगा) डॉ. जसपाल सिंह के अनुसार, वैक्स और ग्रेडिंग के बाद किसान का किनू मंडी में आम किनू से 5-7 रुपए प्रति किलो महंगा बिकता है। वैक्सिंग के बाद किनू को अगर किसान कोल्ड स्टोर में सभालते हैं, तब इसका जीवन 45-60 दिन तक बढ़ जाता है। सिटरस एस्टेट के मैंबर बागवानों के अलावा दूसरे बागवान भी भूंगा सैंटर में पहुंच कर वैक्स करवा सकते हैं।

मार्च के बढ़े तापमान से हुआ था नुकसान

पिछले साल किनू प्रति एकड़ 80-100 किंवंटल तक निकला था। इस बार 40-50 किंवंटल ही निकल रहा है। इसका बड़ा कारण मार्च में तापमान का बढ़ाना रहा था। डॉ. जसपाल सिंह ने बताया कि मार्च में ही किनू के फूल खिलते हैं। उस समय तापमान अगर 20-25 डिग्री सैलिसयस तक रहे तो ठीक रहता है, लेकिन इस बार मार्च में तापमान 30 डिग्री सैलिसयस तक चला गया था। इसके कारण फूल ग्रोथ नहीं कर पाए। इसी वजह से अब एक पौधे करने साल के मुकाबले आधे फल निकल रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह कि रेट मिलने का अच्छा है।

अब होशियारपुर ज़िले में रेशम उत्पादन की योजना, 46 किसानों को मिलेगा प्रशिक्षण

पठानकोट ज़िले में रेशम उत्पादन की सफलता के बाद ज़ंगलात विभाग होशियारपुर ज़िले के 46 किसानों के साथ निक्कूचक गांव से इसे शुरू करने जा रहा है। वह इस गांव में 25 एकड़ क्षेत्र में शहतूत के 10 हजार पौधे लगा चुका है। ज़िले में पहले चरण में 4 किंवंटल रेशम उत्पादन करने का लक्ष्य है। पठानकोट में 116 किसान रेशम उत्पादन कर रहे हैं। पंजाब ज़ंगलात विभाग के नार्थ सर्कल में तैनात कंजर्वेटर डॉ. संजीव तिवाड़ी ने बताया कि सरकार पठानकोट के बाद होशियारपुर में भी सेरिकल्चर यानी रेशम उत्पादन की योजना को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। ज़िले में अभी 46 किसान सापने आए हैं। सरकार 23 वेयरहाउस (जिसमें हर 2 किसानों के लिए 1 वेयरहाउस की योजना के साथ 2 सी.आर.सी. (चौकी रियर सैटर) डेवेलप करने की योजना पर काम कर रही है। सेरिकल्चर के लिए किसानों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। तैयार कोकून के लिए हर साल मंडी लगाई जाएगी, जिसमें किसानों को न्यूनतम 400 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट मिलने का अनुमान है।

दो साल बाद शहतूत के पौधे विकसित होते ही किसानों को प्रति महीने 15 हजार से 20 हजार रुपए की कमाई आसानी से हो सकेगी। निक्कूचक गांव में शहतूत की खेती को बढ़ावा देने पर हुंचे दसूहा फॉरेस्ट रेंज में तैनात डी.एफ.ओ. अंजन सिंह के अनुसार शहतूत एक गहरी जड़ वाला बारहमासी पौधा है, जिसमें अच्छी जड़ें और पत्ते होते हैं। दो साल में पौधे तैयार होते ही लारवा व च्यानी की प्रक्रिया की जिम्मेदारी किसानों को सौंपी जाएगी। कुनून तैयार होने पर इसे प्लांट में प्रोसैंसिंग कर रेशम के धागे तैयार किए जाएंगे। पर्यावरण की दृष्टि से भी पंजाब में पठानकोट व होशियारपुर ज़िले सेरिकल्चर प्रोजैक्ट के अनुकूल हैं।

शहतूत की पत्तियां खाते हैं रेशम कीट

सेरिकल्चर कैटरपिलर (लारवा) के प्रजनन, पालन और घरेलूकरण द्वारा कच्चे रेशम उत्पादन की एक प्रक्रिया है। बॉन्बेक्स मोरी प्रजाति विशेष रूप से रेशम की खेती के लिए उपयोग की जाती है। अन्य विशेष रेशमकीट जैसे एरी, मुगा, और तसर का उपयोग भी ज़ंगली रेशम की खेती के लिए किया जाता है। पहले चरण में रेशम कीट को ठीक उसी समय से पालना होता है, जब वह अंडे में होता है और कोकून में बदल जाता है। दूसरे चरण में रेशम के कीड़ों को खिलाने के लिए शहतूत के पेड़ तैयार करना। शहतूत के पेड़ की पत्तियां खनिज, विटामिन, अमीनो एसिड, जलयोजन और अन्य पौष्टक तत्व प्रदान करती हैं, जो कीटों को लारवा पैदा करने के लिए आवश्यक होते हैं।

डेयरी उद्योग की सफलता बछड़ा व बछड़ी के उत्तम प्रबंधन पर निर्भर करती है। नवजात वंश का उचित प्रबंधन मृत्यु दर को कम कर सकता है। स्वस्थ बछड़ा ही स्वस्थ और समृद्ध डेयरी फार्म का द्योतक होता है। बछड़े की भविष्य में दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए उसे जन्म के समय प्रचुर मात्रा में दी जाने वाली खीस का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

खीस एक गाढ़ा, पीला, स्तन ग्रन्थियों का प्रथम स्त्राव है, जोकि प्रसव के तुरन्त बाद प्राप्त होता है। यह सामान्य दूध की तुलना में 4-5 गुना अधिक प्रोटीन और 10-15 गुना अधिक विटामिन-ए रखता है। यह कई प्रतिरक्षी, वृद्धि कारकों और आवश्यक पोषक तत्वों के साथ ट्रिप्सिन अवरोधक जैसे कारक भी रखता है। ये अवरोधक कारक खीस में उपस्थित प्रतिपिंड नवजात की आंत में होने वाले पाचन को रोकते हैं और प्रतिपिंड के बिना विघटित हुए इसका आंतों द्वारा सीधा अवशोषण हो जाता है।

खीस का महत्व :

1. खीस प्रतिपिंड का प्राथमिक स्त्राव है, इसमें प्रतिपिंड पर्याप्त मात्रा में रहती है।

2. खीस में प्रक्रिय अवरोधक होते हैं, जोकि प्रतिपिंड को आंत में विघटित होने से बचाते हैं, जिससे इसका आंतों द्वारा सीधा अवशोषण हो जाता है।

3. खीस बछड़ों में दस्त तथा न्यूमोनिया के जोखिम को कम करते हैं।



नवजात बछड़ों में खीस का महत्व

नरेन्द्र सिंह जादोन, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष एवं ज्योत्स्ना भट्ट, पीएच.डी. शोध छात्रा, शल्य पशु-चिकित्सा विभाग, गो.ब. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर (उत्तराखण्ड)

4. खीस वसा, प्रोटीन, विटामिन्स तथा खनिज का कोंद्रित स्त्रोत होता है।

5. खीस में अनेक हार्मोन व विकास कारक होते हैं, जोकि बछड़े की वृद्धि व स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं।

खीस बछड़े को कब देना चाहिए? : जन्म के बाद पहले घंटे के भीतर जितना जल्दी हो सके, बछड़े को खीस पिला देना चाहिए, क्योंकि नवजात बछड़ों की आंतों में उसके जन्म के 24 घंटों तक प्रोटीन के बड़े अणुओं को अवशोषित करने की क्षमता रहती है।

खीस की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक :

1. पशु की आयु : प्रायः बूढ़ी गायों में खीस, अधिक मात्रा में अच्छी गुणवत्ता का पाया जाता है। तीन या अधिक ब्यांत वाली

गायों में खीस सामान्यता अच्छी गुणवत्ता का होता है।

2. सूखे की अवधि : तीन सप्ताह से कम सूखे अवधि में प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन स्तन ग्रन्थियों में इकट्ठा नहीं हो पाती है। इसलिए सूखी अवधि लम्बी (3 सप्ताह से अधिक) होने पर बेहतर खीस प्राप्त होता है।

3. टीकाकरण : रोटा वायरस, ई. कोली तथा गोजातीय वायरल दस्त से टीकाकृत गायों के खीस में प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन अधिक पाया जाता है।

4. नस्ल : प्रायः अधिक दूध देने वाली गायों में खीस की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। देशी गायों में संकर या विदेशी गायों

की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाली खीस पाई जाती है।

5. गर्भकाल में पशु की पोषण स्थिति भी खीस की उच्च गुणवत्ता को निर्धारित करती है।

6. ब्यांत के समय पशु की शारीरिक स्थिति और आसान ब्यांत भी खीस की मात्रा बढ़ाने और गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है।

खीस का भंडारण :

1. बेहतर गुणवत्ता की खीस को ही भंडारित करें।

2. खीस को फ्रिज (-5 डिग्री सैंटीग्रेड) में एक सप्ताह तक ही भंडारित कर सकते हैं तथा डीप फ्रिज (-20 डिग्री सैंटीग्रेड) में करीबन एक साल तक भंडारित किया जा सकता है।

3. भंडारित खीस को पिघलाते समय इसका तापमान 50 डिग्री सैंटीग्रेड से ज्यादा ना हो, अन्यथा प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन नष्ट हो सकते हैं।

कृत्रिम खीस का महत्व : कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी कारणवश गाय ब्याने के पश्चात् खीस नहीं देती है या गाय की मृत्यु हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में अगर कोई और गाय आस-पास में ब्याई हो तो उसका खीस पिलाया जा सकता है। अन्यथा बछड़े को कृत्रिम खीस (ताजा दूध 500 मिलीलीटर, 1 अण्डा 55-60 ग्राम, गुनगुना पानी 300 मिलीलीटर और अरंडी का तेल 1-2 चम्मच) घर पर बना कर पिलाया चाहिए। कृत्रिम खीस दिन में तीन बार पिलानी चाहिए।

इस प्रकार ऊपर बताई गई खीस प्रबंधन विधि से नवजात पशुओं की मृत्यु दर को कम कर सकते हैं और भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचते हुए एक बेहतर उत्पादन वाली डेयरी तैयार कर सकते हैं। □

शेष पृष्ठ 3 की

गेहूं में खरपतवारों की रोकथाम की विधियाँ

दिन पश्चात् इथाइल (एलग्रिप) 20 ग्राम और कारफेट्रोजोन (ऐम) 50 ग्राम, 30-35 दिन पश्चात्

जंगली पालक - मेटसलफ्यूरॉन मिथाइल 20 ग्राम / 30-35 दिन पश्चात्

मटरी (जंगली मटर) - मेटसलफ्यूरॉन इथाइल (एलग्रिप) 20 ग्राम और कारफेट्रोजोन (ऐम) 50 ग्राम, 30-35 दिन पश्चात्

गो भी धास (मालवा पखीफलोरा) - कारफेट्रोजोन (ऐम) 50 ग्राम / 30-35 दिन पश्चात्

(ऐम) 50 ग्राम, 30-35 दिन पश्चात् रासायनिक खरपतवार प्रबंधन के लिए कुछ ध्यान योग्य बातें :

1. खरपतवार के प्रकार व संख्या को ध्यान में रख कर खरपतवारनाशी का चुनाव करें।
2. स्थिति का मूल्यांकन करें।



कंडेली - मेटसलफ्यूरॉन इथाइल (एलग्रिप) 20 ग्राम और कारफेट्रोजोन (ऐम) 50 ग्राम, 30-35 दिन पश्चात्

दूधी - कारफेट्रोजोन (ऐम) 50 ग्राम, 30-35 दिन पश्चात्

पीट पापड़ा (कोरनोपस डीडेमस) - मेटसलफ्यूरॉन इथाइल (एलग्रिप) 20 ग्राम, कारफेट्रोजोन

हिरणखुरी - मेटसलफ्यूरॉन

के बाद (पोस्ट एमरजेन्स) के खरपतवारनाशी का प्रयोग तभी करें, जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती अवस्था में हो। खरपतवारनाशी का प्रयोग करते समय फ्लैट फैन नोज़ल का प्रयोग करें।

4. खरपतवार उगने के बाद खरपतवारनाशी (पोस्ट एमरजेन्स) को रेत, यूरिया या मिट्टी के साथ ना मिलाएं।

5. सल्फोसलफ्यूरॉन को मिश्रित फसल जैसे गेहूं, सरसों या गेहूं अन्य फसलों में प्रयोग ना करें।

6. खरपतवारनाशी चक्र का अनुसरण करें, ताकि खरपतवारों की प्रतिरोधी क्षमता विकसित ना हो सके।


7. मंडूसी की रोकथाम के लिए स्प्रे किए गए खरपतवारनाशी से धास कुल जाति के खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है, परन्तु चौड़ी पत्ती के खरपतवारों जैसे जंगली पालक, मालवा या दूधी जैसे खरपतवारों में बढ़ोत्तरी हो रही है।

8. मिश्रित खरपतवारों के नियंत्रण के लिए पीनोक्साडीम + कारफेट्रोजोन 1000 + 50 ग्राम प्रति हैक्टेएर की दर से बुवाई के 35-40 दिन पश्चात् स्प्रे करें।

पंजाब की जिस हरियाली व खुशहाली का जो रूप हमने देखा है, वह अब एक डरावनी हकीकत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बटिंडा, मानसा और लुधियाना के खेतों की मिट्टी के 60 फीसदी नमूनों में एंडोसल्फान और कार्बोफ्यूरान जैसे जहरीले कैमिकल कीटनाशकों के अवशेष पाए गए हैं। यह खतरा एक ऐसे टाइम बम जैसी चेतावनी है, जो न केवल हमारी फसलों में जहर घोल रहा है, बल्कि आने वाली नस्लों पर संकट का संकेत है। हर साल 5 दिसंबर को मनाए जाने वाले 'वर्ल्ड सॉयल डे' के मौके पर जहां दुनिया के तमाम देश धरती में घुलते इस जहर पर कड़ी नजर रखने के उपायों बारे चर्चा करते हैं, वही भारत को भी इस जहर के कहर से बचने के कारण कदम उठाने

जहरीली धरती से खाने व खून में घुलता जहर, भावी पीढ़ियां खतरे में

किलो प्रति हैक्टेयर कीटनाशकों की खपत करने वाला पंजाब जैसा छोटा प्रदेश यू.पी. व महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के बाद देश में तीसरे नंबर पर है। इस पागलपल के परिणाम विनाशकारी हैं। हमारी उपजाऊ जमीन बंजर हो रही है। मिट्टी में प्राकृतिक उर्वरता बनाए रखने वाले सूक्ष्मजीव कैमिकल कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण 30 से 50 फीसदी तक खत्म हो चुके हैं। इसका सीधा असर मिट्टी की गुणवत्ता व फसलों की पोषण क्षमता पर पड़ा है। सैटर सॉयल सैलेनिटी रिसर्च इंस्टीच्यूट (सी.एस.एस.आर.आई.) के



डॉ. अमृत सागर मित्तल,
वाइस चेयरमैन सोनालीका

से जागरूक होकर इस संकट का कारण समाधान ढूँढ़ना होगा।

कानूनी खामियां :

कीटनाशकों के उत्पादन व इस्तेमाल पर नियंत्रण रखने के लिए साल 1968 का इंसैक्टिसाइड एक्ट व 1971 के इंसैक्टिसाइड रूल्स आज के दिन कारगर नहीं हैं। कीटनाशकों के दुष्परिणामों को कम करने के लिए पैस्टीसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 जैसे संशोधन की कोशिशों हुई, लेकिन इसमें कई बड़ी खामियां हैं। यह बिल हमें जहरीले कीटनाशकों से बचाने की बजाय केवल इनके निर्माताओं के रजिस्ट्रेशन व लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं पर केंद्रित होकर रह गया। 1968 का इंसैक्टिसाइड एक्ट व 1971 के इंसैक्टिसाइड रूल्स आज के दिन कृषि पर गहराते इस संकट को संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। पैस्टीसाइड एक्शन नैटवर्क के मुताबिक, हर साल दुनियाभर में कीटनाशकों के जहर के कारण औसत 11,000 मौतें होती हैं, जिनमें से 6,600 मौतें भारत में हो रही हैं। इन आंकड़ों से यह

स्पष्ट है कि हमारे देश में कीटनाशकों के इस्तेमाल व सुरक्षा उपायों में कानूनी स्तर पर भारी खामियां हैं।

ट्रेनिंग व जागरूकता की

कमी : फसलों में कीटनाशकों की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन इनके जहरीले प्रभावों के कारण इनके उत्पादन, खपत और निपटान पर कड़ी निगरानी की जरूरत है। बीते 3 दशकों में कैमिकल कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल बढ़ा है, जिसका बड़ा कारण कीटनाशक निर्माता कंपनियों की आक्रमक मार्केटिंग रणनीतियां हैं। ऐसे में कीटनाशकों के रिटेल विक्रेताओं की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं कि वे किसानों को अधूरी या भ्रमित करने वाली जानकारी देते हैं। फसल की जरूरत मुताबिक कीटनाशकों के सही इस्तेमाल के लिए किसानों को कारगर ट्रेनिंग नहीं मिल रही। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के 'प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट' ने 1994 से 2022 तक देश के करीब 15 करोड़ किसानों में से केवल 5.85 लाख किसानों को इंटीग्रेटेड पैस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी। पैस्टीसाइड मैनेजमेंट पर इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट की हिदायतों मुताबिक, सरकारें व निर्माता कंपनियां किसानों को सही ट्रेनिंग और जानकारी दें, पर इन हिदायतों के पालन पर सख्ती करने की जरूरत है।

सटीक रिकॉर्ड तक नहीं

: कीटनाशकों के जहर से होने वाली मौतों का देश में सटीक

रिकॉर्ड न होना भी इन पर नियंत्रण रखने वाले रेगुलेटरी सिस्टम को कमज़ोर करता है। नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के रिकॉर्ड में वही मामले होते हैं, जो मैडिको-लीगल केस के तौर पर सामने आते हैं। जमीनी हकीकत यह है कि कीटनाशक निर्माता कंपनियों के खिलाफ मैडिको-लीगल मामला दर्ज कराना किसानों के लिए बहुत मुश्किल व खर्चाला है। सटीक डाटा के अभाव में किसी की भी जवाबदेही तय नहीं हो पा रही। राज्य सरकारें भी घातक कैमिकल कीटनाशकों पर 60 दिन तक का अस्थायी प्रतिबंध लगा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है, जिसके चलते समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल रहा। भारत में सुरक्षा संबंधी जानकारी अक्सर पर्चियों में भर दी जाती है, जिससे किसानों को कीटनाशकों के जोखिमों व सही मात्रा में इस्तेमाल बारे स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती। हालांकि सैद्धांतिक रूप से कंजूम्पर प्रोटैक्शन एक्ट किसानों पर भी लागू होता है, लेकिन भ्रमित करते लोबल और घटिया कीटनाशक निर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती।

आगे की राह : सरकार को खतरनाक कीटनाशकों पर प्रतिबंध के साथ पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए। पैस्टीसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 की खामियां दूर हों, ताकि कीटनाशकों के लबलिंग मानकों से किसानों को उनके खतरों और सही इस्तेमाल की सटीक जानकारी मिल सके। आने वाली पीढ़ियों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कारगर गैर-कैमिकल कीटनाशकों को बढ़ावा देना होगा। □



होंगे।

खेतों से थाली तक जहर का कहर : 85 फीसदी से अधिक रक्केबे में धान व गेहूं की खेती पर निर्भर पंजाब में कैमिकल कीटनाशकों की बढ़ती खपत प्रतिज्ञानक है। राष्ट्रीय स्तर पर जहां कीटनाशकों की खपत प्रति हैक्टेयर 62 किलो है, वही 77

ग्रुकुल कृषकेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के सहयोग से किसान चौपाल चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें प्राकृतिक खेती के विशेषज्ञों ने प्रदेशभर से जुटे किसानों से सीधा संवाद किया। वर्तमान में प्राकृतिक खेती की आवश्यकता और किसानों के मन में प्राकृतिक खेती को लेकर उठे वाले सवालों को लेकर जवाब दिए गए। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया।

इससे पहले मंत्री ने गुरुकुल के प्राकृतिक फार्म का भ्रमण किया, जहां 15 फीट से ऊंचे गने को देखकर वे हैरत में पड़ गए। फार्म पर मंत्री श्याम सिंह राणा ने अमरूद, सेब, आम, लीची के बाग और हरी सब्जियों की फसलों पर विस्तार से चर्चा की। गुरुकुल के क्रेशर पर मंत्री और आचार्य ने गरम गुड़ का स्वाद चखा। फार्म के बाद सभी अतिथियों ने गुरुकुल की गोशाला, विद्यालय भवन तथा एनडीए ब्लॉक का भ्रमण किया।

कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि आज खेतों में उत्पादन बढ़ने के लिए जो पैस्टीसाइड, यूरिया,

आग न लगाएं, ये अवशेष खेतों में खाद का काम करेंगे।

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के मुताबिक, हर साल दुनियाभर में कीटनाशकों के जहर के कारण औसत 11,000 मौतें होती हैं, जिनमें से 6,600 मौतें भारत में हो रही हैं। इन आंकड़ों से यह



बना दिया है, वहीं पीने का पानी भी दूषित हो गया है, इससे बचने का एक ही उपाय है कि किसान प्रकृति के अनुरूप ही खेती करें अर्थात् प्राकृतिक खेती को अपनाएं। उन्होंने किसानों से आहवान किया कि फसलों के अवशेष खेतों में ही डालें, उनमें

जरूरी है, कई किसान प्राकृतिक खेती को भी जैविक खेती मानकर इसे अपनाने में संकोच करते हैं। जबकि यह जैविक खेती से बिल्कुल अलग और किसानों के लिए लाभप्रद है। इसके विपरीत प्राकृतिक खेती में लागत बहुत कम है और उत्पादन पूरा, साथ ही किसान को प्राकृतिक उत्पाद का मूल्य भी डेढ़-दोगुण मिलता है।

प्राकृतिक खेती में किसान केवल एक देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से 30 एकड़ भूमि पर खेती कर सकता है। किसान को बाजार से कोई खाद, कीटनाशक आदि खरीदने जरूरत ही नहीं पड़ती। इस मौके पर गुरुकुल के प्रधान राजकुमार गर्ग, उप प्रधान मास्टर सतपाल कंबोज, अटारी जोधपुर निदेशक डॉ. जेपी मिश्रा, चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विविक के कुलसचिव एवं विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ. बलवान सिंह, निदेशक बिएंडियर डॉ. प्रवीण कुमार, प्राचार्य डॉ. सूबे प्रताप, रामनिवास आर्य सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

मैं हवा में नहीं, धरातल पर करता हूँ कार्य – राज्यपाल

गुजरात के राज्यपाल आचार्य की

देवव्रत ने अटारी जोधपुर निदेशक एवं विस्तार शिक्षा निदेशक से नाराजी जताते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती पर कार्य करना है, अभी तक धरातल पर प्रदेश में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रशिक्षण देने वाला ही नहीं है कोई, किसानों की पूरी की पूरी फसल मर रही है। मैं हवा में नहीं, धरातल पर कार्य करता हूँ। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती पर कार्य करना जल्द शुरू कर दें, अभी तक लोगों को जैविक और प्राकृतिक खेती के बीच अंतर तक नहीं पता है। देसी गाय पालने वाले किसानों को 30 हजार रुपये सहयोग राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रकृति से छेड़छाड़ के परिणाम हमेशा खतरनाक होते हैं। इससे पहले 25 हजार रुपये सहयोग राशि दी जाती थी, लेकिन प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस राशि को 30 हजार करने की घोषणा की।

कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड और महिंद्रा कृष-ई ने भारतीय किसानों को ड्रोन छिड़काव सेवाएं प्रदान करने के लिए साझेदारी की

भारत की अग्रणी कृषि-समाधान प्रदाता कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के फार्म इकिवपर्सेंट सेक्टर (एफईएस) बिजनेस वर्टिकल, कृष-ई ने कोरोमंडल की ड्रोन स्प्रेइंग सेवाओं, ग्रोमोर ड्राइव को भारतीय किसानों तक विस्तारित करने के लिए साझेदारी की घोषणा की।

वर्तमान में सात प्रमुख राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में परिचालन कर रहा ग्रोमोर ड्राइव का संचालन आरपीटीओ-प्रशिक्षित पायलटों द्वारा समर्थित है। कोरोमंडल की ड्रोन सेवाएं अपनी सहायक कंपनी, दक्षा अनमैन्ड सिस्टम्स के समर्थन के माध्यम से बाजार में विशिष्ट रूप से स्थित हैं, जो विश्वसनीय ड्रोन आपूर्ति, पायलट प्रशिक्षण और सेवा सहायता सुनिश्चित करती है। यह पिछला एकीकरण कोरोमंडल को इस उभरते बाजार में एक अलग प्रतिस्पर्धी बढ़ाव प्रदान करता है। यह साझेदारी 'कृष-ई खेती के लिए ऐप' के माध्यम से इन सेवाओं तक पहुंच को और बढ़ाती है, साथ ही महिंद्रा के एफईएस द्वारा पेश किए गए अन्य प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि समाधानों के साथ, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को स्थायी रूप से अधिकतम करना और व्यापक कृषि मूल्य श्रृंखला को लाभ पहुंचाना है।

समझौता ज्ञापन (गैर-बाध्यकारी) पर हस्ताक्षर के अवसर पर कोरोमंडल के उर्वरक व्यवसाय के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री आमिर अल्वी ने कहा, "कोरोमंडल



का ग्रोमोर ड्राइव किसानों को कृषि पद्धतियों के लिए दक्षता, मापनीयता और सुविधा में महत्वपूर्ण प्रगति प्रदान करता है। कोरोमंडल के ग्रोमोर ड्राइव और महिंद्रा कृष-ई के बीच यह (गैर-बाध्यकारी) समझौता ज्ञापन किसानों के लिए ड्रोन छिड़काव को सुलभ बनाकर भारत के कृषि परिशय को बदलने की दिशा में हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा लक्ष्य इस सहयोग के माध्यम से उनकी इनपुट लागत को कम करना, उत्पादकता बढ़ाना और कृषि लाभप्रदता में सुधार करना है। कोरोमंडल का ग्रोमोर ड्राइव, कंपनी की सहायक कंपनी दक्षा अनमैन्ड सिस्टम्स द्वारा समर्थित है, जो प्रमाणित ड्रोन पायलटों के अपने बेड़े के अलावा इन-हाउस विकसित अत्याधुनिक कृषि ड्रोन का अतिरिक्त लाभ भी लाता है। हमें विश्वास है कि यह सहयोग नवाचार के नए अवसरों को खोलेगा, हमारे हितधारकों के लिए मूल्य बनाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों के जीवन पर सकारात्मक और स्थायी प्रभाव डालेगा।"

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के कृषि उपकरण क्षेत्र के अध्यक्ष

में आने वाले किसानों की संख्या को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, ड्रोन तकनीक फसलों पर उर्वरक और रसायनों के चुनिदा छिड़काव को सक्षम कर सकती है, साथ ही बेहतर उपज सुनिश्चित कर सकती है। यह साझेदारी कृष-ई खेती के लिए ऐप के माध्यम से कृष-ई ग्राहकों के लिए प्रति एकड़ भुगतान के आधार पर ड्रोन छिड़काव की पहुंच सुनिश्चित करेगी।"

कोरोमंडल के बारे में

कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड भारत की अग्रणी और कृषि समाधान प्रदाता कंपनियों में से एक है, जो खेती मूल्य श्रृंखला में विविध उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करती है। यह दो प्रमुख क्षेत्रों में काम करती है - पोषक तत्व और अन्य संबद्ध व्यवसाय और फसल सुरक्षा। इनमें उर्वरक, फसल सुरक्षा, जैव उत्पाद, और शक्तिशाली रसायनों के संपर्क



महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने किसानों को डिजिटल श्रद्धांजलि देकर किसान दिवस मनाया

यह अभियान किसानों के योगदान को उजागर करता है, तथा लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से आभार व्यक्त करने का आग्रह करता है। यह खाद्य वितरण कर्मियों के साथ समानताएं दर्शाता है, तथा यह सुनिश्चित करने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है



कि हर भोजन हमारी थाली तक पहुंचे।

महिंद्रा समूह का एक हिस्सा और भारत के अग्रणी ट्रैक्टर ब्रांडों में से एक महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने किसान दिवस के अवसर पर एक डिजिटल अभियान शुरू किया, जिसमें भारतीय किसानों के योगदान पर प्रकाश डाला

गया। यह अभियान पिछले वर्ष की पहल, "क्या आपने किसान को धन्यवाद दिया?" की थीम पर ऐप लोगों को अपने घरों में आराम से विविध व्यंजनों का आनंद लेने में सक्षम बनाते हैं। अभियान सुझाव देता है कि जबकि डिलीवरी कर्मियों को आम तौर पर उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया जाता है, वही आभार किसानों के लिए भी होना चाहिए।

कंपनी ने इस पहल के तहत लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग #ThankYouKisan का उपयोग कर किसानों को धन्यवाद देने के लिए प्रोत्साहित किया है।

किसान दिवस, हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है, यह भारत के पांचवें प्रधानमंत्री और किसानों के अधिकारों के लिए एक प्रमुख वकील चौथरी चरण सिंह की जयती का प्रतीक है। यह दिन देश भर के किसानों के योगदान को पहचानने के लिए समर्पित है।

महिंद्रा का अभियान अभिनव समाधानों, विश्वसनीय ट्रैक्टरों, वित्तों, योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से किसानों का समर्थन करने के अपने व्यापक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। इस प्रयास का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों ही तरह के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना और कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा देना है।

भारत के वन क्षेत्र पर सरकार के ताजा आंकड़ों को 'बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया'

बांस के बागान, नारियल के पेड़ और बागों को वन क्षेत्र के हिस्से के रूप में शामिल किया गया

कई पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा कि भारत के वनों पर नवीनतम सरकारी आंकड़े 'बढ़ा-चढ़ा कर' पेश किए गए हैं, क्योंकि इससे बांस के बागान, नारियल के पेड़ और बागों को वन क्षेत्र के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। लगभग 1 साल की देरी के बाद गत् दिनों जारी 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023' (आई.एस.एफ.आर.-2023) में कहा गया है कि 2021 से भारत का कुल वन और वृक्ष क्षेत्र 1,445 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, जो 2023 में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, वन क्षेत्र में केवल 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई और अधिकांश वृद्धि (149 वर्ग किलोमीटर) 'रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया' (आर.एफ.ए.) के बाहर हुई, जो सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में नामित क्षेत्रों को संदर्भित करता है।

विशेषज्ञों ने कहा कि समग्र परिणाम और भी अच्छे हो सकते थे, खासकर तब जब सरकार ने आई.एस.एफ.आर. 2023 के लिए वृक्षों के आवरण वाले क्षेत्र के अनुमानों में बांस और छोटे पेड़ (ब्रेस्ट हाइट की ऊंचाई पर 5-10 सैटीमीटर व्यास) को शामिल किया। यह मूल्यांकन 2021 में 636 जिलों से बढ़ कर 751 जिलों तक विस्तारित किया गया। केरल की पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रकृति श्रीवास्तव, संरक्षणवादी शोधकर्ता, कृतिका संपत्ति और राष्ट्रीय बन्यजीव बोर्ड की पूर्व सदस्य प्रेरणा सिंह बिंद्रा सहित विशेषज्ञों ने दावा किया कि सरकार ने बांस के बागान, नारियल के पेड़ों और बागों को वन आवरण के हिस्सों के रूप में गिना और 'बढ़ा-चढ़ा कर पेश किए गए आंकड़ों के साथ एक और दोषपूर्ण रिपोर्ट' तैयार की।

उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे क्षेत्र जैव विविधता और वन्यजीव बोर्ड के लिहाज से पारिस्थितिकीय महत्व वाले नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि वृक्षों के आवरण (1,289 वर्ग किलोमीटर) में वृद्धि मुख्य रूप से रबड़, यूकेलिप्टस, बबूल और आम, नारियल, सुपारी और चाय तथा कॉफी के बागानों में भायादार पेड़ों के रोपण के कारण भी हुई है।